**DC/379/CC**/25/2025 पुष्पराज सिंह विरूद्ध पीनल उपवेजा दिनांक 22/10/2025

/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जांजगीर–चॉपा (छ0ग0)/

प्रस्तुति दिनांक :– ऑन लाईन–27/04/2025
अंतिम तर्क हेतु– 22/10/2025
आदेश पारित दिनांक–22/10/2025

प्रकरण क्र. **DC/379/CC**/25/2025

पुष्पराज सिंह उम्र 19 वर्ष
पिता का नाम–राजेश कुमार सिंह
पता–ग्राम जगहमंत पोस्ट–धुरकोट
थाना व तहसील–नवागढ़
जिला–जांजगीर–चाम्पा छ.ग.
मो.–9755761604 ...श्री डी.पी.एस.गौतम/परिवादी

*( विरूद्ध )*

पीनल उपवेजा उम्र–45 वर्ष,
संचालक–श्री गायत्री गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस
जीत टॉकीज पुराना बस स्टैण्ड के पास बिलासपुर
जिला–बिलासपुर छ.ग.
पिन नं–495001 ....श्री संजीव नामदेव/विरूद्ध पक्षकार

**समक्षः श्री प्रशान्त कुन्डू, अध्यक्ष**
**श्री विशाल तिवारी, सदस्य,**
**श्रीमती महिमा सिंह, सदस्य,**

**परिवादी द्वारा श्री डी.पी.एस.गौतम अधिवक्ता।**
**विरूद्ध पक्षकार द्वारा श्री संजीव नामदेव अधिवक्ता।**

द्वारा– श्री प्रशान्त कुन्डू, अध्यक्ष,

1. परिवादी ने धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत यह परिवाद विरूद्ध पक्षकार/विरूद्ध पक्षकार के विरूद्ध सेवा में कमी किए जाने के आधार पर परिवादी को विरूद्ध पक्षकार से उसके द्वारा हॉस्टल, खाने पीने, साफ सफाई हेतु ली गई राशि में से बकाया राशि

39,200 / रु. वापस दिलाये जाने तथा उस पर 18 प्रतिशत ब्याज दिनांक 13.08.2024 से अदायगी दिनांक तक दिलाये जाने, मानसिक तथा आर्थिक क्षति हेतु 1,00,000 / रु. दिलाये जाने, वाद व्यय एवं अन्य अनुतोष दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. उभय पक्षकर के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी ने विरुद्ध पक्षकार के द्वारा संचालित श्री गायत्री गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस तथा बायज हॉस्टल में दिनांक 15.04.2024 को प्रवेश लिया था।

3. परिवाद के आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने विरुद्ध पक्षकार के द्वारा संचालित श्री गायत्री गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस तथा बायज हॉस्टल में दिनांक 15.04.2024 को प्रवेश लिया था तथा दिनांक 15.04.2024 को 10,000 / रु., दिनांक 28.04.2024 को 20,000 / रु., पुनः दिनांक 28.04.2024 को 17,500 / रु., दिनांक 28.06.2024 को 18,700 / रु. जमा किया था। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल एवं बायज हॉस्टल तथा मेस संचालित था परन्तु रसीद केवल श्री गायत्री गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस के नाम से दी जाती थी। इस बात को विरुद्ध पक्षकार के द्वारा प्रेषित नोटिस के जवाब में स्वीकार किया गया है। परिवादी बिलासपुर में अपने अध्ययन कार्य / प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु विरुद्ध पक्षकार के द्वारा संचालित हॉस्टल में 10 माह हेतु 7,500 / रु. की दर से प्रवेश लिया था। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा हॉस्टल से कोचिंग सेंटर आकाश बायजूस तक आने–जाने हेतु वाहन, दो समय का खाना व सुबह का नास्ता देने को कहा था परन्तु बायज

हॉस्टल में न तो कोई साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता था तथा न ही सुरक्षा पर, हॉस्टल में रोज असमाजिक तत्व शराब पीकर आकर हल्ला करते थे। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा कभी भी दो टाईम का खाना नहीं दिया तथा हमेशा जली रोटी, पतली दाल व स्तरहीन खाना दिया जाता था, जिससे परेशान होकर एक माह 22 दिन बाद परिवादी हॉस्टल छोड़ दिया। उक्त अवधि में परिवादी के पढ़ाई में भी बहुत अधिक नुकसान हुआ तथा वांछित सुविधाये न देकर सेवा में कमी की गई। परिवादी के द्वारा दिनांक 28.06.2024 तक कुल 66,200/रु. का भुगतान विरुद्ध पक्षकार को किया गया था। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी से 66,200/रु. प्राप्त करने के बाद भी हॉस्टल में सुविधा ठीक से नहीं दी तथा न ही हॉस्टल से कोचिंग सेंटर तक जाने हेतु वाहन उपलब्ध कराया गया था। इस कारण परिवादी के द्वारा हॉस्टल छोड़ना पड़ा तथा बार–बार निवेदन किये जाने के बाद विरुद्ध पक्षकार के द्वारा दिनांक 13.08.2024 को परिवादी को केवल 12,000/रु. ही वापस किया गया जबकि विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी से कुल राशि 66,200/रु. प्राप्त किया गया था। इस प्रकार विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी को अभी भी 39,200/रु. वापस नहीं किया गया है। अतः परिवादी ने विरूद्ध पक्षकार से उपरोक्तानुसार परिवाद पत्र में वांछित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया है।

4. विरूद्ध पक्षकार द्वारा लिखित कथन पेश कर स्वीकृत तथ्य के अलावा परिवाद के समस्त अभिवचनों से इंकार करते हुये कथन किया

गया कि विरुद्ध पक्षकार बिलासपुर का निवासी है इस कारण इस जिला आयोग को प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। विरुद्ध पक्षकार का जीत टाकीज एवं पुराने बस स्टैंड के पास गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस संचालित है किन्तु बायस हॉस्टल अन्य स्थान पर संचालित होता है। परिवादी के द्वारा भिन्न–भिन्न किश्तों में राशि हॉस्टल के नियमानुसार हॉस्टल की सुविधा को देखते हुए जमा की जाती थी। संचालित बायस हॉस्टल में बताये अनुसार नियम एवं व्यवस्था थी। हॉस्टल में सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त था। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीव्ही भी लगी हुई है। हॉस्टल में खाने पीने की उचित व्यवस्था भी रहती है तथा हॉस्टल से कोचिंग सेंटर आने जाने हेतु वाहन की व्यवस्था रहती है जिसमें परिवादी आना जाना करता था। परिवादी के द्वारा कभी भी खाने या साफ सफाई के संबंध में विरुद्ध पक्षकार के समक्ष कोई मौखिक या लिखित शिकायत नहीं की थी। परिवादी झगड़ालू प्रकृति का विद्यार्थी था। परिवादी ने हॉस्टल के वाहन चालक का आपत्तिजनक विडियो बनाकर वायरल किया था। परिवादी के द्वारा हॉस्टल में रखे कुलर, फ्रीज एवं ई–रिक्शा में तोड़फोड़ की थी। जिससे विरुद्ध पक्षकार को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। इस संबंध में परिवादी के कृत्य की जानकारी उसके पिता तथा मामा दोनों को दिये जाने पर वे हॉस्टल में उपस्थित हुए थे तथा विरुद्ध पक्षकार से यह निवेदन किया था कि इस घटना के संबंध में पुलिस थाना में रिपोर्ट न

करें अन्यथा परिवादी का भविष्य खराब हो जावेगा। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के पिता तथा अन्य पालकों के निवेदन को स्वीकार कर थाना में उक्त घटना की कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। परिवादी के द्वारा कुलर, फ्रीज, अलमारी एवं ई–रिक्शा में तोड़फोड़ करने के कारण फ्रीज में 12,000/रु. की क्षति हुई, अलमारी में 6,000/रु. की क्षति हुई, कुलर में 5,000/रु. की क्षति हुई एवं ई–रिक्शा में 8,240/रु. कुल 35,380/रु. की क्षति हुई थी। परिवादी दिनांक 15.04.2024 को बायस हॉस्टल में प्रवेश लिया था तथा दिनांक 14.07.2024 को हॉस्टल छोड़ा था। इस प्रकार परिवादी के द्वारा बायस हॉस्टल में तीन माह रहकर पूर्ण सुविधा प्राप्त किया था। इस प्रकार तीन माह का कुल 22,500/रु. होता है। विरुद्ध पक्षकार का हॉस्टल आज भी संचालित है तथा विद्यार्थी भर्ती होकर पढ़ाई कर रहे हैं, विरुद्ध पक्षकार का हॉस्टल उच्च स्तरीय है। विरुद्ध पक्षकार को परिवादी के पालकों के द्वारा दिनांक 14.07.2024 को यह लिखकर दिया कि पुष्पराज सिंह पिता आर. के. सिंह आज दिनांक 14.07.2024 को हॉस्टल छोड़कर जा रहा है। परिवादी के द्वारा हॉस्टल का पूरा फीस अदा कर दिया गया है और कोई राशि बकाया नहीं है। परिवादी के द्वारा कोई गलत जानकारी नहीं दी जा रही है। परिवादी के द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर परिवादी के अभिभावक से फीस वसूलने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार इस संबंध में निष्पादित दस्तावेज में परिवादी के पिता, परिवादी तथा वार्डन के हस्ताक्षर हैं साथ ही साथ यह भी लिखकर दिया गया कि कोई भी लेनदेन राशि परिवादी

से लेना शेष नहीं है। इस प्रकार परिवादी के द्वारा विरुद्ध पक्षकार के विरुद्ध झूठा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी के पिता तथा अभिभावक के द्वारा निवेदन किये जाने पर विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी को 12,000/रु. की राशि वापस प्रदान की गई थी। परिवादी या उसके अभिभावकों के द्वारा विरुद्ध पक्षकार से और कोई राशि की मांग नहीं की गई थी। इस प्रकार परिवादी के द्वारा तीन माह हॉस्टल में रहकर खाना पीना कर, कोचिंग सेंटर में आने जाने हेतु वाहन का उपयोग करने के तीन माह के बाद हॉस्टल छोड़ दिये जाने के बाद मिथ्या आधारों पर यह परिवाद विरुद्ध पक्षकार से अवैध रुप से राशि वसूलने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस कारण परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद, परिवादी पर विधिक हर्जाना अधिरोपित करते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. परिवादी ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र एवं सूची अनुसार दस्तावेज श्री गायत्री गर्ल्स हास्टल एवं मेस की रसीद 10,000/रू. दिनांक 15.04.2024 की छाया प्रति प्रदर्श सी–1, श्री गायत्री गर्ल्स हास्टल एवं मेस की रसीद 20,000/रू. दिनांक 28.04.2024 की छाया प्रति प्रदर्श सी–2, श्री गायत्री गर्ल्स हास्टल एवं मेस की रसीद 17,500/रू. दिनांक 28.04.2024 की छाया प्रति प्रदर्श सी–3, श्री गायत्री गर्ल्स हास्टल एवं मेस की रसीद 18,700/रू. दिनांक 28.06.2024 की छाया प्रति प्रदर्श सी–4, फोन पे का स्टेटमेंट 12,000/–रू. दिनांक 13.08.2024 की छाया प्रति प्रदर्श

सी–5, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 18.11.2024 की छाया प्रति प्रदर्श सी–6, रजिस्टर्ड नोटिस का जवाब दिनांक 30.11.2024 की छाया प्रति प्रदर्श सी–7, कोचिंग सेंटर की रसीद दिनांक 15.04.2024 की छाया प्रति प्रदर्श सी–8 प्रस्तुत किया है।

6. विरूद्ध पक्षकार के द्वारा जवाब के समर्थन में पिनाल उपवेजा संचालक गायत्री गर्ल्स हास्टल एवं मेस का शपथ, मधुसुदन पटेल, किरण सोनवानी, आकाश मिश्रा का शपथ पत्र एवं सूची अनुसार दस्तावेज हास्टल लिविंग फार्म/शपथ पत्र दिनांक 14.07.2024 की छाया प्रति ओ.पी. प्रदर्श–1, बिल जया ऑटो दिनांक 02.07.2024 की छाया प्रति ओ.पी. प्रदर्श–2, बिल अनील फर्नीचर दिनांक 27.08.2024 की छाया प्रति ओ.पी. प्रदर्श–3, लिगल नोटिस का जवाब पावती रसीद सहित दिनांक 01.12.2024 की छाया प्रति ओ.पी. प्रदर्श–4 प्रस्तुत किया गया है।

7. परिवाद पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। अभिलेखगत सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. परिवाद के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैः–

1. क्या विरूद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी की गई है ?

2. क्या परिवादी, विरूद्ध पक्षकार से वांछित अनुतोष पाने का अधिकारी है ?

## निष्कर्ष के आधार

## विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 एवं 2 का सकारण निष्कर्ष :–

9. उभय पक्ष के द्वारा अपने–अपने अभिवचन के अनुरूप ही तर्क पेश किया गया है। उभयपक्ष के अभिवचन, शपथ पत्र, दस्तावेजों एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया।

10. परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी ने विरुद्ध पक्षकार के द्वारा संचालित श्री गायत्री गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस तथा बायज हॉस्टल में दिनांक 15.04.2024 को प्रवेश लिया था तथा दिनांक 15.04.2024 को 10,000/रु., दिनांक 28.04.2024 को 20,000/रु., पुनः दिनांक 28.04.2024 को 17,500/रु., दिनांक 28.06.2024 को 18,700/रु. जमा किया था। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल एवं बायज हॉस्टल तथा मेस संचालित था परन्तु रसीद केवल श्री गायत्री गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस के नाम से दी जाती थी। इस बात को विरुद्ध पक्षकार के द्वारा प्रेषित नोटिस के जवाब में स्वीकार किया गया है। परिवादी बिलासपुर में अपने अध्ययन कार्य/प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु विरुद्ध पक्षकार के द्वारा संचालित हॉस्टल में 10 माह हेतु 7,500/रु. की दर से प्रवेश लिया था। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा हॉस्टल से कोचिंग सेंटर आकाश बायजूस तक आने जाने हेतु वाहन, दो समय का खाना व सुबह का नास्ता देने को कहा था परन्तु बायज हॉस्टल में न तो कोई साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता था तथा न ही सुरक्षा पर हॉस्टल में

रोज असमाजिक तत्व शराब पीकर आकर हल्ला करते थे। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा कभी भी दो टाईम का खाना नहीं दिया तथा हमेशा जली रोटी, पतली दाल व स्तरहीन खाना दिया जाता था। जिससे परेशान होकर एक माह 22 दिन बाद परिवादी हॉस्टल छोड़ दिया। उक्त अवधि में परिवादी के पढ़ाई में भी बहुत अधिक नुकसान हुआ तथा वांछित सुविधाये न देकर सेवा में कमी की गई।

11. परिवादी की ओर से यह तर्क भी किया गया कि परिवादी के द्वारा दिनांक 28.06.2024 तक कुल 66,200/रु. का भुगतान विरुद्ध पक्षकार को किया गया था। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी से 66,200/रु. प्राप्त करने के बाद भी हॉस्टल में सुविधा ठीक से नहीं दी तथा न ही हॉस्टल से कोचिंग सेंटर तक जाने हेतु वाहन उपलब्ध कराया गया था। इस कारण परिवादी के द्वारा हॉस्टल छोड़ना पड़ा तथा बार–बार निवेदन किये जाने के बाद विरुद्ध पक्षकार के द्वारा दिनांक 13.08.2024 को परिवादी को केवल 12,000/रु. ही वापस किया गया जबकि विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी से कुल राशि 66,200/रु. प्राप्त किया गया था। इस प्रकार विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी को अभी भी 39,200/रु. वापस नहीं किया गया है। इस कारण परिवादी को विरुद्ध पक्षकार से उसके द्वारा हॉस्टल, खाने पीने, साफ सफाई हेतु ली गई राशि में से बकाया राशि 39,200/रु. वापस दिलाये जाने तथा उस पर 18 प्रतिशत ब्याज दिनांक 13.08.2024 से अदायगी दिनांक तक दिलाये जाने, मानसिक तथा आर्थिक क्षति हेतु 1,00,000/रु. दिलाये

जाने, वाद व्यय एवं अन्य अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

12. विरुद्ध पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क में यह आपत्ति किया गया कि विरुद्ध पक्षकार बिलासपुर का निवासी है इस कारण इस जिला आयोग को प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। विरुद्ध पक्षकार की ओर से यह तर्क भी किया गया कि विरुद्ध पक्षकार का जीत टाकीज एवं पुराने बस स्टैंड के पास गर्ल्स हॉस्टल एवं मेस संचालित है किन्तु बायस हॉस्टल अन्य स्थान पर संचालित होता है। परिवादी के द्वारा भिन्न–भिन्न किश्तों में राशि हॉस्टल के नियमानुसार हॉस्टल की सुविधा को देखते हुए राशि जमा की जाती थी। संचालित बायस हॉस्टल में बताये अनुसार नियम एवं व्यवस्था थी। हॉस्टल में सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त था। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीव्ही भी लगी हुई है। हॉस्टल में खाने पीने की उचित व्यवस्था भी रहती है तथा हॉस्टल से कोचिंग सेंटर आने जाने हेतु वाहन की व्यवस्था रहती है जिसमें परिवादी आना जाना करता था। परिवादी के द्वारा कभी भी खाने या साफ सफाई के संबंध में विरुद्ध पक्षकार के समक्ष कोई मौखिक या लिखित शिकायत नहीं की थी। विरुद्ध पक्षकार की ओर से यह तर्क भी किया गया कि परिवादी झगड़ालू प्रकृति का विद्यार्थी था। परिवादी ने हॉस्टल के वाहन चालक का आपत्तिजनक विडियो बनाकर वायरल किया था। परिवादी के द्वारा

हॉस्टल में रखे कुलर, फ्रीज एवं ई–रिक्शा में तोड़फोड़ की थी, जिससे विरुद्ध पक्षकार को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। इस संबंध में परिवादी के कृत्य की जानकारी उसके पिता तथा मामा दोनों को दिये जाने पर वे हॉस्टल में उपस्थित हुए थे तथा विरुद्ध पक्षकार से यह निवेदन किया था कि इस घटना के संबंध में पुलिस थाना में रिपोर्ट न करें अन्यथा परिवादी का भविष्य खराब हो जायेगा। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के पिता तथा अन्य पालकों के निवेदन को स्वीकार कर थाना में उक्त घटना की कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। परिवादी के द्वारा कुलर, फ्रीज, अलमारी एवं ई–रिक्शा में तोड़फोड़ करने के कारण फ्रीज में 12,000/रु. की क्षति हुई, अलमारी में 6,000/रु. की क्षति हुई, कुलर में 5,000/रु. की क्षति हुई एवं ई–रिक्शा में 8,240/रु. कुल 35,380/रु. की क्षति हुई थी।

13. विरुद्ध पक्षकार की ओर से यह तर्क भी किया गया कि परिवादी दिनांक 15.04.2024 को बायस हॉस्टल में प्रवेश लिया था तथा दिनांक 14.07.2024 को हॉस्टल छोड़ा था। इस प्रकार परिवादी के द्वारा बायस हॉस्टल में तीन माह रहकर पूर्ण सुविधा प्राप्त किया था। इस प्रकार तीन माह का कुल 22,500/रु. होता है। विरुद्ध पक्षकार का हॉस्टल आज भी संचालित है तथा विद्यार्थी भर्ती होकर पढ़ाई कर रहे हैं, विरुद्ध पक्षकार का हॉस्टल उच्च स्तरीय है। विरुद्ध पक्षकार की ओर से यह तर्क भी किया गया कि विरुद्ध पक्षकार को परिवादी के पालकों के द्वारा दिनांक 14.07.2024 को यह लिखकर दिया कि पुष्पराज सिंह पिता

आर. के. सिंह आज दिनांक 14.07.2024 को हॉस्टल छोड़कर जा रहा है। परिवादी के द्वारा हॉस्टल का पूरा फीस अदा कर दिया गया है और कोई राशि बकाया नहीं है। परिवादी के द्वारा कोई गलत जानकारी नहीं दी जा रही है। परिवादी के द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर परिवादी के अभिभावक से फीस वसूलने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार इस संबंध में निष्पादित दस्तावेज में परिवादी के पिता, परिवादी तथा वार्डन के हस्ताक्षर हैं साथ ही साथ यह भी लिखकर दिया गया कि कोई भी लेनदेन राशि परिवादी से लेना शेष नहीं है। इस प्रकार परिवादी के द्वारा विरुद्ध पक्षकार के विरुद्ध झूठा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। विरुद्ध पक्षकार की ओर से यह तर्क भी किया गया कि परिवादी के पिता तथा अभिभावक के द्वारा निवेदन किये जाने पर विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी को 12,000/रु. की राशि वापस प्रदान की गई थी। परिवादी या उसके अभिभावकों के द्वारा विरुद्ध पक्षकार से और कोई राशि की मांग नहीं की गई थी। इस प्रकार परिवादी के द्वारा तीन माह हॉस्टल में रहकर खाना पीना कर, कोचिंग सेंटर में आने जाने हेतु वाहन का उपयोग करनें के तीन माह के बाद हॉस्टल छोड़ दिये जाने के बाद मिथ्या आधारों पर यह परिवाद विरुद्ध पक्षकार से अवैध रुप से राशि वसूलने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस कारण परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद, परिवादी पर विधिक हर्जाना अधिरोपित करते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

14. अभिलेख में उभयपक्ष के द्वारा किये गये अभिवचनों का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र तथा दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत तर्क का विश्लेषण किया गया। परिवादी के द्वारा राशि 10,000/रु. की रसीद दिनांक 15.04.2024 प्रदर्श सी–1, राशि 20,000/रु. की रसीद दिनांक 28.04.2024 प्रदर्श सी–2, राशि 17,500/रु. की रसीद दिनांक 28.04.2024 प्रदर्श सी–3, राशि 18,700/रु. की रसीद दिनांक 28.06.2024 प्रदर्श सी–4 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 75,000/रु. दस माह हेतु निर्धारित किया जाना दर्शित है। परिवादी को विरुद्ध पक्षकार के द्वारा रिफंड की गई राशि 12,000/रु. का ऑन लाईन ट्रांजेक्शन प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रदर्श सी–5 है। प्रदर्श सी–6 नोटिस तथा प्रदर्श सी–7 नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श सी–8 फी रसीद दिनांक 15.04.2024 प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श सी–8 फी केल्कुलेटर प्रस्तुत किया गया है। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा ओ. पी. प्रदर्श–1 हॉस्टल लिविंग फार्म दिनांक 14.07.2024 का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें परिवादी, परिवादी के अभिभावक तथा हॉस्टल वार्डन के हस्ताक्षर है तथा जिसमें शपथत्रीय कथन में यह दर्शित है कि पुष्पराज सिंह पिता आर. के. सिंह दिनांक 14.07.2024 को हॉस्टल छोड़कर जा रहा है। हॉस्टल का पूरा फीस पटा दिया गया है मेरे द्वारा फीस संबंधी जानकारी गलत नहीं दी गई है यदि ऐसा किया जाता है तो मेरे अभिभावक से फीस वसूलने हेतु स्वतंत्र

रहेगा। मेरे कमरे का सामान एवं कमरे को वार्डन से चेक करा दिया गया है और चाबी वार्डन को सौंप दी गई है। मैनें हॉस्टल छोड़नें के पूर्व सारी प्रक्रिया का भली भॉति पालन किया है। इस प्रकार ओ. पी. प्रदर्श–1 से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी विरुद्ध पक्षकार के बायस हॉस्टल के रुम नंबर 3 में रह रहा था तथा दिनांक 14.07.2024 को दोपहर 2.00 बजे हॉस्टल छोड़ा था जबकि इस संबंध में परिवादी का यह तर्क रहा है कि वह कुल एक माह 22 दिन ही हॉस्टल में था, सत्य प्रतीत नहीं होता है। प्रदर्श सी–1 से दिनांक 15.04.2024 को हॉस्टल में प्रवेश लिया जाना तथा ओ. पी. प्रदर्श–1 से यह प्रमाणित होता है कि परिवादी विरुद्ध पक्षकार के हॉस्टल में दिनांक 15.04.2024 से दिनांक 14.07.2024 तक रहा।

15. परिवादी का यह तर्क रहा है कि विरुद्ध पक्षकार के हॉस्टल में साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता था तथा खाना पीना भी दोनों टाईम का नहीं दिया जाता था और खानें में जली हुई रोटी दी जाती थी। ऐसी स्थिति में परिवादी कुल 3 माह तक हॉस्टल में निवास किया था परन्तु परिवादी के द्वारा उक्त संबंध में विरुद्ध पक्षकार के हॉस्टल के संबंध में यदि कोई शिकायत थी तो वह इस संबंध में हॉस्टल वार्डन या विरुद्ध पक्षकार के समक्ष लिखित में शिकायत कर सकता था परन्तु परिवादी के द्वारा विरुद्ध पक्षकार के समक्ष ऐसा कोई शिकायत किया जाना दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त परिवादी के द्वारा अपने पिता या अभिभावक से भी हॉस्टल के कमियों के संबंध में

शिकायत कर सकता था, इस पर परिवादी के पिता या अभिभावक हॉस्टल प्रबंधन से इस संबंध में शिकायत कर सकते थे परन्तु प्रस्तुत परिवाद में परिवादी के द्वारा ऐसा न ही कथन किया गया है एवं न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में विरुद्ध पक्षकार का यह तर्क रहा है कि परिवादी झगड़ालू प्रकृति का विद्यार्थी था उसके द्वारा हॉस्टल से कोचिंग सेंटर तक लाने पर वाहन चालक की आपत्तिजनक विडियो वायरल किया था तथा हॉस्टल में रखे गये फ्रीज, कूलर, अलमारी तथा ई–रिक्शा में तोड़फोड़ किया गया था परन्तु इस हेतु विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के अभिभावक को कोई शिकायत किया जाना दर्शित नहीं होता है तथा न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा ओ. पी. प्रदर्श–2 ई–रिक्शा के मरम्मत के संबंध में बिल जया आटो का बिल दिनांक 02.07.2024 का प्रस्तुत किया गया है तथा ओ. पी. प्रदर्श–1 हॉस्टल लिविंग फार्म में दर्शित शपथपत्र में ऐसी कहीं दर्शित नहीं है कि परिवादी के द्वारा फ्रीज, कूलर, अलमारी और ई–रिक्शा में तोड़फोड़ कर क्षति पहुॅचाई थी परन्तु विरुद्ध पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत किरण सोनवानी पति राजेश सोनवानी एकाउॅट्स का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह दर्शित है कि परिवादी दिनांक 15.04.2024 को बायस हॉस्टल में प्रवेश लिया था तथा संस्थान में तोड़फोड़, लड़ाई झगड़ा किया था जिससे संस्थान के अलमारी, फ्रीज, कूलर तथा ई–रिक्शा को क्षति पहुॅचाई थी। इस हेतु परिवादी के द्वारा माफी मांगा

गया था तथा उसके विरुद्ध थाना में शिकायत नहीं की गई थी। आपसी समझौता के आधार पर परिवादी को 12,000/रु. की राशि वापस की गई थी दर्शित है। विरूद्ध पक्षकार के द्वारा हॉस्टल वार्डन आकाश मिश्रा पिता विपिन मिश्रा का भी शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वार्डन आकाश मिश्रा 2021 से विरुद्ध पक्षकार के यहां कार्यरत है। प्रस्तुत शपथपत्र में दिनांक 15.04.2024 को परिवादी के द्वारा विरुद्ध पक्षकार के संस्थान में प्रवेश लिया था और उसके द्वारा विरूद्ध पक्षकार के संस्थान में तोड़फोड़, लड़ाई झगड़ा किया था जिससे विरुद्ध पक्षकार के संस्थान के अलमारी, ई–रिक्शा, कूलर तथा फ्रीज को क्षति पहुॅची थी। परिवादी के द्वारा इस संबंध में माफी मांगे जाने पर उसके विरुद्ध थाना में रिपोर्ट नहीं किया गया था और नुकसान के संबंध में आपसी समझौता के आधार पर परिवादी के द्वारा जमा की गई राशि में से परिवादी को 12,000/रु. वापस कर दिया गया था। इस संबंध में परिवादी के द्वारा स्वयं के अतिरिक्त अन्य और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी के द्वारा संपूर्ण परिवाद में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि हॉस्टल में उसका रुम पार्टनर कौन कौन था तथा न ही परिवादी के द्वारा अपने किसी रुम पार्टनर का कोई शपथपत्र अपने परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। विरुद्ध पक्षकार के द्वारा ओ. पी. प्रदर्श–3 फ्रीज, अलमारी तथा कूलर का बिल दिनांक 27.08.2024 का प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह स्पष्ट होता है कि विरुद्ध पक्षकार के द्वारा फ्रीज, कूलर तथा अलमारी

नया क्रय किया गया है जो कि गर्ल्स हॉस्टल का होना दर्शित है। इस कारण ओ. पी. प्रदर्श–3 के तहत् यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी के द्वारा फ्रीज, कूलर तथा अलमारी में तोड़फोड़ किये जाने से क्रय किया गया था जबकि विरुद्ध पक्षकार के द्वारा तोड़फोड़ से नुकसान के संबंध में कोई फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस कारण विरुद्ध पक्षकार का यह तर्क कि परिवादी के द्वारा हॉस्टल में तोड़फोड़ किया गया था, केवल वार्डन के शपथपत्र के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है परन्तु साथ ही साथ परिवादी भी यह स्थापित करने में असमर्थ रहा है कि विरुद्ध पक्षकार के बायस हॉस्टल में साफ सफाई नहीं रखा जाना, ठीक से खाना पीना नहीं दिया जाना, हॉस्टल से कोचिंग सेंटर तक वाहन उपलब्ध नहीं कराना आदि प्रमाणित नहीं किया गया है। परिवादी के द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि वह दिनांक 15.04.2024 से दिनांक 14.07.2024 तक हॉस्टल का उपयोग न कर केवल एक माह 22 दिन की हॉस्टल में रहा था जबकि विरुद्ध पक्षकार के द्वारा ओ. पी. प्रदर्श–1 के जरिये यह तथ्य प्रमाणित कर दिया गया है कि परिवादी, विरुद्ध पक्षकार के बायस हॉस्टल का 3 माह तक उपयोग किया गया था। इस संबंध में <u>रनवीत सिंह बग्गा बनाम के. एल. एम. रायल डच एयर लाईन्स 2000 (1) माननीय उच्चतम न्यायालय 66</u> अवलोकनीय है। जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सेवा में कमी साबित करने का भार आरोप लगाने वाले के उपर है और प्रस्तुत परिवाद में भी परिवादी के द्वारा विरुद्ध

पक्षकार पर लगाये गये आरोप साबित कर पाने में सफल नहीं हो पाया है और न ही विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति किसी प्रकार की सेवा में कमी किया जाना पाया जाता है।

16. फलस्वरुप इस जिला आयोग के मत में परिवादी के द्वारा विरुद्ध पक्षकार के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है कि विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति हॉस्टल में किसी प्रकार की सेवा प्रदान करनें में कमी या व्यापारिक दुराचार किया गया है। अतः विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 2 का निष्कर्ष ''**अप्रमाणित**'' में दिया जाता है।

17. अतः परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

18. उभयपक्ष स्वयं अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

| | | |
|---|---|---|
| (प्रशान्त कुन्डू)<br>अध्यक्ष<br>जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग<br>जांजगीर–चॉपा छ.ग.<br>दिनांक 22/10/2025 | (विशाल तिवारी)<br>सदस्य<br>जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग<br>जांजगीर–चॉपा छ.ग.<br>दिनांक 22/10/2025 | (महिमा सिंह)<br>सदस्य<br>जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग<br>जांजगीर–चॉपा छ.ग.<br>दिनांक 22/10/2025 |